पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
सेक्टर-19, नवा रायपुर - 492002

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक एफ 2-23/दो-गृह/रापुसे/2017 दिनांक 13.09.2021 के माध्यम से छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग तथा प्लाटून कमाण्डर के कुल 975 रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त पत्र के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग तथा प्लाटून कमाण्डर के पदों की पूर्ति हेतु राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर दिनांक 01.10.2021 से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	01.10.2021 (प्रातः 10:30 बजे से)
	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	31.10.2021 (सायंकाल 05:30 बजे तक)
2	परीक्षा शुल्क-	
	सामान्य वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग	रू. 400/-
	अनूसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	रू. 200/-

नोट :- जिन अभ्यर्थियों व्दारा पूर्व में विज्ञापन दिनांक 23.08.2018 के तारतम्य में ऑनलाईन आवेदन किया है, उन्हें नवीन फॉर्मेट में पुनः ऑनलाईन आवेदन करना होगा, परन्तु उनसे दुबारा आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

3. **रिक्त पदों की संख्या तथा उनका वेतनमान -**

चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या तथा उनका वेतनमान नीचे दर्शाये अनुसार है। रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

स. क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की वर्गवार संख्या				योग	वेतनमान
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव (गैर-क्रीमीलेयर)		
1	सूबेदार	24	07	19	08	58	वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (प्रारंभिक मासिक वेतन रू. 35400/-)
2	उप निरीक्षक	242	69	185	81	577	
3	उप निरीक्षक (विशेष शाखा)	29	08	22	10	69	
4	प्लाटून कमाण्डर	100	29	84	34	247	
5	उप निरीक्षक (अंगुल-चिन्ह)	03	01	01	01	06	
6	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	01	0	01	01	03	
7	उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	02	0	03	01	06	
8	उप निरीक्षक (रेडियो)	04	01	03	01	09	
	योग	405	115	318	137	975 *	

* उपरोक्त दर्शित पदों में दिनांक 23.08.2018 को विज्ञापित 655 पद सम्मिलित हैं।

नोट :- चयनित अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में, प्रथम वर्ष वेतनमान के न्यूनतम 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड देय होगा तथा अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।

आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।

4. **आरक्षण :-** छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10 प्रतिशत, विभागीय कर्मचारियों के लिये 05 प्रतिशत एवं महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण रहेगा। महिलाओं को प्लाटून कमाण्डर पद के लिये भर्ती की पात्रता नहीं होगी। आरक्षण के संबंध में राज्य शासन व्दारा जारी निर्देश लागू होंगे।

5. **आयु :-**

सामान्य जाति के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2021 को 21 वर्ष से कम एवं 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयुसीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट होगी। इसके अतिरिक्त विधवा, परित्यक्ता, अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि, छ.ग. शासन के कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों एवं स्वयंसेवी नगर सैनिकों के संबंध में भी नियमानुसार उच्चतर आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी।

नोट :- आयु की गणना एवं उच्चतर आयुसीमा छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग के व्दारा पत्र क्रमांक एफ 2-23/दो-गृह/रापुसे/2017 दिनांक 17.09.2021 के माध्यम से प्रदत्त सहमति के आधार पर है। उच्चतर आयुसीमा में राज्य शासन व्दारा वन-टाईम छूट दी गई है।

6. **शैक्षणिक अर्हता :-**

(1) **सूबेदार/ उप निरीक्षक/उप निरीक्षक (विशेष शाखा) एवं प्लाटून कमाण्डर पद हेतु** - उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होना अनिवार्य है।

(2) **उप निरीक्षक (अंगुल-चिन्ह) एवं उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज) पद हेतु** - शासन व्दारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होना अनिवार्य है।

(3) **उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) पद हेतु** - शासन व्दारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए)/ बीएससी (कम्प्यूटर) में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होना अनिवार्य है।

(4) **उप निरीक्षक (रेडियो) पद हेतु** - शासन व्दारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक/ इलेक्ट्रिकल टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में 03 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्राप्त होना अनिवार्य है।

नोट :- निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए।

7. **शारीरिक अर्हता :-** सभी वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी तथा सभी वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 153 सेमी होना अनिवार्य है। पुरूष उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाये 81 सेमी तथा फुलाने पर 86 सेमी होना अनिवार्य है। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेमी का अंतर होना आवश्यक है, महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, नॉक-नी, फ्लेट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को ऑखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। ऑखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक ऑख से 6/6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे की 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए।

8. **चयन प्रक्रिया :-**

चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जावेगी, जिसमें शारीरिक नापतौल, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार सम्मिलित है।

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद में प्रवीण्यता होने पर बोनस के 10 अंक होंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2021 के नियम 6(10)(सात) के प्रावधान लागू होंगे।

9. तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी व्दारा अपने आवेदन में पुरूष विकल्प भरे जाने की स्थिति में पुरूष अभ्यर्थियों के निर्धारित शारीरिक मापदण्ड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदण्ड लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती पुरूष अभ्यर्थी के विरूद्ध होगी। अभ्यर्थी व्दारा अपने आवेदन में महिला विकल्प भरे जाने की स्थिति में महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शारीरिक मापदण्ड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदण्ड लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती महिला अभ्यर्थियों के विज्ञापित पदों के विरूद्ध होगी। तृतीय लिंग के अभ्यर्थी व्दारा अपने आवेदन में तृतीय लिंग विकल्प भरे जाने की स्थिति में महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शारीरिक मापदण्ड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदण्ड लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती महिला अभ्यर्थियों के विज्ञापित पदों के विरूद्ध होगी।

नोट :-(1) **छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2021 विभागीय वेबसाईट www.cgpolice.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अद्यतन जानकारी एवं निर्देश हेतु समय-समय पर विभागीय वेबसाईट www.cgpolice.gov.in का अवलोकन करते रहें।**

(2) **चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 में निहित प्रावधानों एवं शासन व्दारा जारी निर्देशों के अध्यधीन है।**

17/1

पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़, रायपुर